(130)

# न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2106–दो/2011 विरूद्ध आदेश 30–9–2011 – पारित – व्दारा – अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर – प्रकरण कमांक 137/2009–10 अपील

श्याम सिंह पुत्र राधाकृष्ण कुशवाह
बार्ड क्र–16, गर्ल्स स्कूल वाली गली,
तहसील एंव जिला अशोकनगर,म0प्र0 ---आवेदक

विरूद्ध

1– रामवीर सिंह पुत्र ओमकार सिंह रघुवंशी
निवासी तुलसी सरोवर कालोनी अशोकनगर
2– नरेन्द्र कुमार पुत्र शिवचरण सोनी
प्रोसेसन रोड बजरिया अशोकनगर
3– पप्पू पुत्र चिन्दू चमार निवासी
ग्राम बरखेड़ी तहसील अशोकनगर ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस0के0श्रीवास्तव)
(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित है– एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 19 – 6 – 2016 को पारित)

अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 137/2009–10 अपील में पारित आदेश 30–9–2011 के विरूद्ध यह निगरानी म0प्र0 भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने ग्राम मारूप स्थित भूमि सर्वे नंबर 145 रकबा 0.235 है. ( आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) पॅजीकृत विक्रय पत्र व्दारा रिकार्डेड भूमिस्वामी पप्पू से क्रय की। विक्रय पत्र के आधार

पर केता श्याम सिंह पुत्र राधाकृष्ण कुशवाह का ग्राम पंचायत के प्रस्ताव कमांक 12 दिनांक 5-7-2005 से नामान्तरण आदेश हुआ। इस आदेश का अमल पटवारी अभिलेख में किये जाने हेतु श्याम सिंह पुत्र राधाकृष्ण कुशवाह ने तहसीलदार अशोकनगर को आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर से तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 01 अ-6/2005-06 पंजीबद्ध किया तथा इस्तहार का प्रकाशन किया। अनावेदकगण व्दारा आपत्ति प्रस्तुत कर आवेदक का नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज न किये जाने की प्रार्थना की। तहसीलदार अशोकनगर ने हितबद्ध पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 10-6-2008 पारित किया तथा ग्राम पंचायत के प्रस्ताव कमांक 12 दिनांक 5-7-2005 से आवेदक के स्वीकार किये गये नामान्तरण आदेश के आधार पर श्याम सिंह पुत्र राधाकृष्ण कुशवाह का नाम शासकीय अभिलेख में दर्ज करने के आदेश दिये गये। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1, 2 ने अनुविभागीय अधिकारी, अशोकनगर के समक्ष अपील कमांक 86/07-08 प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने उभय पक्ष को सुनकर आदेश दिनांक 15-12-2009 पारित किया तथा प्रकरण में पक्षकारों के असंयोजन का दोष होने से अपील निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील कमांक 137/2009-10 प्रस्तुत होने पर आदेश 30-9-2011 से अपील स्वीकार की गई एंव अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर का आदेश दिनांक 15-12-2009 तथा तहसीलदार अशोकनगर का आदेश दिनांक 10-6-08 निरस्त करते हुये प्रकरण ग्राम पंचायत धोरा के प्रस्ताव कमांक 5 दिनांक 22-5-03 का अमल

शासकीय अभिलेख में कराने के आदेश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण को न्यायालय व्दारा बार-बार सूचना पत्र भेजे गये, किन्तु निर्वहन उपरांत प्रति प्राप्त न होने पर रजिस्टर्ड डाक से सूचना भेजी गई, किन्तु वह अनुपस्थित रहे हैं। अतएव उनके विरूद्ध एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने , तहसीलदार के प्रकरण क्रमांक 01 अ-6/2005-06 में पारित आदेश दिनांक 10-6-2008 एंव अनुविभागीय अधिकारी, अशोकनगर के अपील क्रमांक 86/07-08 में पारित आदेश दिनांक 15-12-2009 तथा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 137/2009-10 पारित आदेश 30-9-2011 की तुलना करने पर स्थिति यह है कि तहसील न्यायालय में मूल मामला आवेदक के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है जिसमें ग्राम पंचायत के प्रस्ताव क्रमांक 12 दिनांक 5-7-2005 से वादग्रस्त भूमि पर आवेदक के किये गये नामान्तरण का अमल शासकीय अभिलेख में करने की मांग है। तहसीलदार अशोकनगर ने प्रकरण क्रमांक 01 अ-6/ 2005-06 में पारित आदेश दिनांक 10-6-2008 से आवेदक की मांग स्वीकार करते हुये उसका नाम शासकीय अभिलेख में दर्ज करने के आदेश दिये है जिसके विरूद्ध

अनावेदक कमांक 1 एंव 2 व्दारा अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर के समक्ष अपील कमांक 86/07-08 प्रस्तुत करने पर पक्षकारों के असंयोजन होने से आदेश दिनांक 15-12-2009 से अपील अस्वीकार की गई है और इसी आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष अपील कमांक 137/2009-10 प्रस्तुत हुई थी जिसमें मात्र विचार यह किया जाना था कि अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर ने पक्षकारों का असंयोजन मानकर अपील निरस्त करने में विधिक त्रृटि की है अथवा नहीं , परन्तु अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर ने मुख्य बिन्दु के परीक्षण से हटकर प्रकरण कमांक 137/2009-10 में पारित आदेश 30-9-2011 से वादग्रस्त भूमि पर अनावेदक कमांक 1,2 का नामान्तरण स्वीकार करने की त्रृटि की है जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश दिनॉक 30-9-2011 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ तहसीलदार के प्रकरण कमांक 01 अ-6/2005-06 में विकेता पप्पू आवश्यक एंव हितबद्ध पक्षकार रहा है और जब तहसीलदार के आदेश दिनांक 10-6-08 के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 एंव 2 ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की है विकेता भूमिस्वामी पप्पू को पक्षकार नहीं बनाया है जोकि आवश्यक एंव हितबद्ध पक्षकार है जिसके कारण प्रथम अपील में पक्षकारों के असंयोजन का दोष होने से अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर ने आदेश दिनांक

15-12-2005 से अपील निरस्त करने मे किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की है और इन्हीं कारणों से अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 137/2009-10 अपील में पारित आदेश 30-9-2011 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 137/2009-10 अपील में पारित आदेश 30-9-2011 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है। परिणामतः अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर व्दारा प्र0क0 86/07-08 अपील में पारित आदेश दिनांक 15-12-2005 एंव तहसीलदार अशोकनगर व्दारा प्रकरण कमांक 01 अ-6/2005-06 में पारित आदेश दिनांक 10-6-08 स्थिर रहने से ग्राम मारूप स्थित भूमि सर्वे नंबर 145 रकबा 0.235 है. पर आवेदक श्याम सिंह पुत्र राधाकृष्ण कुशवाह के नाम की शासकीय अभिलेख में की गई प्रविष्टि यथावत् रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर